



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आषाढ 1932 (श10)
(सं0 पटना 465) पटना, सोमवार, 12 जुलाई 2010

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

9 जुलाई 2010

एस०ओ० 134, दिनांक 12 जुलाई, 2010-बिहार मूल्यवर्द्धित-कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची III के भाग 1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

1. अनुसूची III के भाग 1 के क्रमांक 149 के बाद निम्नलिखित क्रमांक एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टि जोड़ी जायेगी:-

“150. किरासन तेल”

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0 सं0- बिक्री-कर/विविध-32/2010—3103 अनु0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

9 जुलाई 2010

एस0ओ0 135, एस0ओ0 134 दिनांक 12 जुलाई, 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0- विक्री-कर/विविध-32/2010—3103 अनु0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 9th July 2010

S.O. 134, dated 12th July, 2010—In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section 14 of the Bihar Value Added Taxes Act, 2005 (Act. No. 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in part I of Schedule III appended to the said Act :-

AMENDMENT

1. After sl. no. 149 of Part I of Schedule III, the following serial and its corresponding entry shall be added.

“150. Kerosene Oil”

2. This notification shall come into force from the date of its issue.

(File No. Bikri Kar/Vividh-32/2010—3103 Anu.)

By order of the Governor of Bihar,

SUBHAKIRTI MAJUMDAR,

Commissioner-Cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 465-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>